



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1128]
No. 1128]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2008/श्रावण 16, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2008/SRAVANA 16, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2008

का.आ. 1994(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, "सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर बुहारन और सफाई का नियोजन" के अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों को संदेय प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी की दरें नियत करने के प्रस्ताव भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 925(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2008 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करती है।

मजदूरी की उन न्यूनतम दरों में, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी (क) इससे उपाबद्ध अनुसूची के भाग I के

स्तंभ (2) में दी गई मजदूरी की मूल दरें और उसके स्तंभ (1) में वर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संदेय दरें समाविष्ट होंगी; और

(ख) एक विशेष भत्ता जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूची के भाग 2 में परिवर्ती महंगाई भत्ता कहा गया है मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले छह मास के अंतराल पर प्रत्येक वर्ष क्रमशः 30 जून और 31 दिसम्बर, को समाप्त होने वाली प्रत्येक पश्चात्पूर्ती छह मास की अवधि के लिए औद्योगिक कर्मचारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में वर्णित दर पर समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग I—न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें

क्षेत्र	दैनिक मजदूरी
(1)	(2)
क	180.00 रुपये
ख	150.00 रुपये
ग	120.00 रुपये

भाग II—विशेष भत्ता दर

औद्योगिक श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) में 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 133 से ज्यादा अंकों के उछाल या गिरावट के प्रत्येक बिन्दु के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता दर

क्षेत्र	परिवर्ती महंगाई भत्ता
(1)	(2)
क	1.35 रुपये
ख	1.13 रुपये
ग	90 पैसे

[फा. सं. एस-32017/1/2008-डब्ल्यू सी]

हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में उल्लिखित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त उपाबंध में विनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर तक की परिधि के सभी स्थान शामिल होंगे। क्षेत्र "ग" में उपाबंध में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू होता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा श्रेणी में उन्नयन किए गए स्थानों को भी इस मसौदा प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे परिवर्धन एवं उन्नयन की तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।

2. जहां किसी संविदा अथवा करार अथवा अन्यथा के आधार पर किसी कर्मचारी की मजदूरी की मौजूदा दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ अनुप्रयोज्य उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी दरों के रूप में मानी जाएंगी।

3. न्यूनतम मजदूरी दर में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए देय मजदूरी भी शामिल है।

4. न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।

5. विकलांग कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी दरें समुचित श्रेणी के श्रमिकों को देय दरों के समान ही होंगी।

6. पुरुष और महिला कामगार समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त करेंगे।

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता दोनों शामिल हैं।

उपाबंध

क्षेत्र- 'क'	
अहमदाबाद (यू ए)	हैदराबाद (यू ए)
बंगलुरु (यू ए)	कानपुर (यू ए)
कोलकाता (यू ए)	लखनऊ (यू ए)
दिल्ली (यू ए)	चेन्नई (यू ए)
वृहत्तर मुम्बई (यू ए)	नागपुर (यू ए)

क्षेत्र- 'ख'	
आगरा (यू ए)	जमशेदपुर (यू ए)
अजमेर	जोधपुर
अलीगढ़	कोच्चि (यू ए)
इलाहाबाद (यू ए)	कोल्हापुर (यू ए)
अमरावती	कोझीकोड (यू ए)
औरंगाबाद (यू ए)	कोटा
बरेली (यू ए)	लुधियाना
भावनगर	मदुरई (यू ए)
बीकानेर	मेरठ (यू ए)
भोपाल	मुरादाबाद (यू ए)
भुवनेश्वर	मैसूर (यू ए)
अमृतसर	नासिक (यू ए)
चंडीगढ़ (यू ए)	पुणे (यू ए)
कोयम्बटूर (यू ए)	पटना (यू ए)
कटक (यू ए)	रायपुर (यू ए)
दुर्गापुर	राजकोट
फरीदाबाद	रांची (यू ए)
कम्पलैक्स	
गाजियाबाद (यू ए)	शोलापुर (यू ए)
गोरखपुर (यू ए)	श्रीनगर (यू ए)
गुवाहाटी शहर	सूरत (यू ए)
गुन्डूर	तिरुवनन्तपुरम (यू ए)
ग्वालियर (यू ए)	वडोदरा (यू ए)
इन्दौर (यू ए)	वाराणसी (यू ए)
हुबली-धारवाड	विजयवाड़ा (यू ए)
जबलपुर (यू ए)	विशाखापट्टनम (यू ए)
जयपुर (यू ए)	वारंगल

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है। कृपया ध्यान दें : यू ए शहरी समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2008

S.O. 1994(E).—Whereas the proposals to fix the minimum rates of wages per day payable to the employees engaged in the scheduled employment of "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993", was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 925(E),

dated the 24th April, 2008 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months, from the date on which copies of Gazette notification were made available to the public;

And, whereas, no objections or suggestions have been received on the said proposals by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby fixes the minimum rates of wages payable to the employees employed in this Scheduled employment.

The minimum rates of wages, which will be effective from the date of this notification shall consist of—

(a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part-I of the Schedule annexed herewith and payable to the employees working in areas mentioned in column (1) thereof; and

(b) a special allowance, hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance, Part-II of the said Schedule shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months commencing on the 1st October and 1st April on the basis of average Consumer Price Index Number for Industrial Workers for the each preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate mentioned in column (2) of Part-II of the Schedule.

SCHEDULE

Part I—Basic rates of minimum wages

Area	Daily wage
(1)	(2)
A	Rs. 180.00
B	Rs. 150.00
C	Rs. 120.00

Part II—Rate of Special Allowance

Rate of Variable Dearness allowance for every point rise or fall in Consumer Price Index Number (Base 2001=100) beyond 133 for Industrial Workers which is six months average upto 31st December, 2007.	
Area	Variable Dearness Allowance
(1)	(2)
A	Rs. 1.35 Paise
B	Rs. 1.13 Paise
C	90 Paise

[F. No. S-32017/1/2008-WC]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

Explanation : For the purpose of this notification

1. Area 'A' and Area 'B' as indicated in Annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee or a particular place and Area 'C' shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends. The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from the date of such addition or up-gradation for the purposes of classification specified in Annexure to this draft proposal.
2. Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages, applicable for the purpose of this notification to such employee.
3. The Minimum rates of wages include also the wages for weekly day of rest.
4. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.
5. The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category.
6. The men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature.
7. The minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

ANNEXURE

AREA—"A"

Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)

AREA—"B"

Agra	(UA)	Jamshedpur	(UA)
Ajmer		Jodhpur	
Aligarh		Kochi	(UA)

Allahabad	(UA)	Kolhapur	(UA)	Faridabad		Ranchi	(UA)
Amravati		Kozhikode	(UA)	Complex			
Aurangabad	(UA)	Kota		Ghaziabad	(UA)	Sholapur	(UA)
Bareilly	(UA)	Ludhiana		Gorakhpur		Srinagar	(UA)
Bhavnagar		Madurai	(UA)	Guwahati City		Surat	(UA)
Bikaner		Meerut	(UA)	Guntur		Thiruvananthapuram	(UA)
Bhopal		Moradabad	(UA)	Gwalior	(UA)	Vadodara	(UA)
Bhubaneshwar		Mysore	(UA)	Indore	(UA)	Varanasi	(UA)
Amritsar		Nasik	(UA)	Hubli-Dharwad		Vijayawada	(UA)
Chandigarh	(UA)	Pune	(UA)	Jabalpur	(UA)	Vishakhapatnam	(UA)
Coimbatore	(UA)	Patna	(UA)	Jaipur	(UA)	Warangal	
Cuttack	(UA)	Raipur	(UA)	Area—'C' will comprise all areas not mentioned in this list.			
Durgapur		Rajkot		NB : U.A. stands for Urban Agglomeration.			